COSMO FERRITES LIMITED
(Govt. of India Recognised Export House)
CIN : L27106HP1985PLC006378
H.O.: 517, 5th Floor, DLF Tower-A, Jasola District Centre, New Delhi-110025 (India)
Ph.: +91-11-49398800
E-mail : sales@cosmoferrites.com Website : www.cosmoferrites.com

CFR/SE/2023-24/FEB/05 **February 08, 2024**

The Manager (Listing)
Bombay Stock Exchange Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400 001

Scrip Code: 523100 Security ID: COSMOFE

Sub: Unaudited Financial Results – Newspaper Publication

Dear Sir,

Further to our letter dated February 07, 2024, regarding approval of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended on December 31, 2023, please find enclosed newspaper advertisements published, in compliance with Regulation 47 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, in "Financial Express" (**English**) and "Himachal Dastak" (**Hindi**).

This is for your information and records.

Thanking You,

Yours faithfully
For **Cosmo Ferrites Limited**

Ambrish Jaipuria
Digitally signed by Ambrish Jaipuria
Date: 2024.02.08 11:57:00 +05'30'

Ambrish Jaipuria
Managing Director
DIN: 00214687

Encl: as above

Government of India

pfrda

Ensuring Income an

More than

Subscribers Enrolled i

Join APY today for secu

COSMO FERRITES LIMITED

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

Rs. In Lacs

Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Month Ended 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
Total Income from Operations	2,212	7,431	2,368	10,992
Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	132	773	183	1,255
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, and/or exceptional items)	(182)	(167)	(59)	315
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(182)	(203)	(59)	315
Net Profit/(Loss) for the period after tax	(139)	(146)	(46)	242
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(140)	(150)	(44)	239
Equity Share Capital	1,203	1,203	1,203	1,203
Earning Per Share (of Rs 10 each)				
- Basic:	(1.15)	(1.21)	(0.37)	2.01
- Diluted:	(1.15)	(1.21)	(0.37)	2.01

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com).
2. The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereunder.

New Delhi
Date: 07.02.2024

Sd/-
Ambrish Jaipuria
Managing Director

COSMO FERRITES LIMITED

Regd. Office: Jabli, Distt Solan, Himachal Pradesh-173209
CIN: L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234,
Website: www.cosmoferrites.com, E-mail: investorservices@cosmoferrites.com

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make

Form No. 3 [See Regulation -15(1)(a)] /16(3)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT 2)

1st Floor SCO 33-34-35 Sector-17 A, Chandigarh (Additional space allotted also on 3rd and 4th Floor)

Case No. OA/280/2022

Summons under sub-section (4) of section 19 of the Act, read with sub-rule (2A) of rule 5 of the Debt Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993.

Exh. No. 21442

Canara Bank
VS
Krishna Devi

To,

(3) Satyanarayan Sharma (Def. No. 3)
S/o Sh. Ram Prakash Sharma, House No. 192 Chopal Wali Gali Pandit Mohalla Rangpuri, Milkpur Kohi, Mahipalpur, South West, Delhi.

Summons

Whereas, OA/280/2022 was listed before Hon'ble Presiding Officer/Registrar on **20/12/2023.**

Whereas this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/notice on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs.36,77,669/- (Rupees Thirty Six Lakh Seventy Seven Thousand Six Hundred Sixty Nine only)** (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-

(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted;

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application;

(iii) You are restrained From dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before **Registrar** on **18/03/2024 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

बर्फबारी ने 59 सड़कों पर रोक दी वाहनों की रफ्तार

जिला के ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी दुश्वारियां कायम

हिमाचल दस्तक ▌शिमला

जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में अभी भी बर्फबारी के चलते पेश आने वाली दुश्वारियां कायम हैं। जिला में भारी बर्फबारी के चलते अभी भी 59 सड़कें यातायात के लिए बाधित चल रही हैं।

सड़कों के बंद होने से ऊपरी शिमला में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्य मार्गों पर तो वाहनों का संचालन शुरू हो गया है, मगर अभी भी काफी संख्या में संपर्क मार्ग यातायात के लिए बंद चल रहे हैं। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

▌मुख्य मार्गों पर संचालन शुरू तो लिंक रोड चल रहे बाधित

▌गाड़ियों की आवाजाही नहीं होने से लोगों की बढ़ी दिक्कतें

शिमला के ढली में सुबह के समय लगा जाम।

रोहड़ू व कुमारसैन सब डिविजन में सबसे ज्यादा सड़कें बंद

जिला शिमला में मौजूदा समय में 59 सड़कें यातायात के लिए बंद चल रही हैं। इसमें रोहड़ू व कुमारसैन सब डिविजन की ज्यादा सड़कें बंद हैं। रोहड़ू में अभी भी बर्फबारी के चलते 21 सड़कें बंद हैं, जबकि कुमारसैन में 10 सड़कों पर वाहनों के पहिये थमे हुए हैं।

कई सड़कों पर फिसलन का खतरा

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक कोटखाई में 7, जुब्बल में 1, चौपाल में 7, रामपुर में 8, कुपवी में 4 और डोडरा-क्वार में 1 सड़क बंद है। जहां ऊपरी शिमला में 59 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं, वहीं जिन ग्रामीण सड़कों को बर्फबारी के बाद बहाल किया गया है, उन सड़कों पर भी फिसलन का खतरा बना हुआ है। खासतौर पर उन सड़कों पर सुबह के समय वाहनों का संचालन खतरनाक साबित हो रहा है।

सड़कों को किया जा रहा बहाल : लोक निर्माण विभाग

लोक निर्माण विभाग का दावा है कि बर्फबारी के चलते बंद चल रही सड़कों को बहाल किया जा रहा है। अभी जो सड़कें बाधित चल रही हैं, उन सड़कों को बहाल करने के लिए मशीनरी व कर्मचारियों को लगाया गया है। बंद चल रही सड़कों को जल्द ही यातायात के लिए बहाल कर दिया जाएगा।

भाजयुमो प्रदेश कार्यकारिणी में अभिषेक गुप्ता को मिला स्थान

रामपुर बुशहर। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजयुमो की प्रदेश

कार्यकारिणी में अभिषेक गुप्ता को सदस्य चुना गया है। गुप्ता की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। यह जानकारी भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने दी। भाजयुमो की प्रदेश कार्यकारिणी में 48 युवाओं को जगह दी गई है, जबकि 4 युवाओं को संसदीय क्षेत्र प्रभारी नियुक्त किया गया है। साथ ही 17 जिला प्रभारी बनाए गए हैं। ये सूची बीते मंगलवार को जारी की गई है। भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा ने कहा कि इस कार्यकारिणी में सभी क्षेत्रों को तरजीह दी गई है। इसमें ऐसे युवाओं को जगह दी गई है जो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि रामपुर से अभिषेक गुप्ता अब्बू को स्थान दिया गया है। अब्बू ने अपनी नियुक्ति पर प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज शर्मा सहित नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताओं को आभार व्यक्त किया है।

डीसी कश्यप ने कुफरी-फागू सड़क का किया निरीक्षण, सुगम यातायात सुनिश्चित कराया

ओलावृष्टि के चलते फिसलन बढ़ने से ट्रैफिक हुआ था प्रभावित

हिमाचल दस्तक ▌शिमला

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बुधवार को अन्य अधिकारियों के साथ कुफरी-फागू सड़क का निरीक्षण किया और सुगम यातायात सुनिश्चित करवाया।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार को हुई ओलावृष्टि और हिमपात के कारण इस मार्ग पर फिसलन बढ़ने से यातायात प्रभावित हुआ था। इसके अतिरिक्त खराब मौसम की वजह से जो रेत बर्फ पर डाली गई थी, वह भी धुल गई थी। उपायुक्त ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (कानून एवं व्यवस्था) अजीत कुमार भारद्वाज, उपमंडल दंडाधिकारी ठियोग मुकेश शर्मा और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मार्ग का निरीक्षण किया। सभी के बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने से अब मार्ग पर वाहनों का सुगम आवागमन जारी है।

उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बुधवार को कुफरी-फागू सड़क का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए।

ईवीएम स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण

इससे पूर्व उपायुक्त ने फागू स्थित ईवीएम स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और सभी सुविधाओं की गहनता से जांच की। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सभी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।

सेब के 5 हजार पौधे आग के हवाले

करसोग में अवैध कारोबार करने वालों पर शिकंजा

हिमाचल दस्तक ▌करसोग

बाहरी राज्य से अवैध रूप से करसोग लाए गए सेब के लगभग 5 हजार पौधों को उद्यान विभाग करसोग की टीम द्वारा विभाग के चुराग स्थित कार्यालय में नियमानुसार आग में जलाकर नष्ट किया गया। विभाग द्वारा यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश फल पौध पंजीकरण व विनियमन अधिनियम-2015 की धारा 17 की उपधारा 2 के अंतर्गत की गई।

विभाग के करसोग स्थित विषय विशेषज्ञ उद्यान डॉ. जगदीश वर्मा ने बताया कि सेब के ये पौधे करसोग क्षेत्र के ही एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से जम्मू-कश्मीर से गाड़ी में करसोग लाए जा रहे थे। विभाग को मामले की सूचना मिलने पर विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए गत 29 जनवरी को अवैध रूप से लाए जा रहे इन पौधों को पकड़ा था। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई को विभाग द्वारा गठित टीम की अगुआई में फल पौधशाला पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पूर्ण किया गया, जिसमें डॉ. मोनिका शर्मा, डॉ. नारायण ठाकुर व जूनियर टेक्निशियन जगदीश शामिल थे।

▌जम्मू-कश्मीर से गाड़ी में लाई जा रही थी नर्सरी

▌उद्यान विभाग ने गुप्त सूचना के आधार की कार्रवाई

आगे भी जारी रहेगा एक्शन

डॉ. जगदीश वर्मा ने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध फल-पौधों के कारोबार पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश के कुछ लोग इस तरह के अवैध फल-पौधों के कारोबार में संलिप्त हैं, जो प्रदेश के भोले-भाले बागवानों-किसानों को ठगी का शिकार बनाते हैं। उन्होंने बागवानों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की सलाह देते हुए आग्रह किया है कि इस प्रकार के गैर पंजीकृत पौध उत्पादकों से फलदार पौधे न खरीदें और पंजीकृत नर्सरी से ही फलदार पौधों की खरीद करें ताकि पौधों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जा सके और बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े।

संलिप्त लोगों की सूचना अवश्य दें

डॉ. जगदीश वर्मा ने क्षेत्र के किसानों-बागवानों से आग्रह किया है कि अवैध फल-पौधों के कारोबार में संलिप्त लोगों की सूचना विभाग को अवश्य दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके।

50 हजार जुर्माना व एक वर्ष के कारावास का प्रावधान

विषय विशेषज्ञ उद्यान विभाग ने बताया कि इस तरह के कारोबार में यदि कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि कानून के अनुसार दोषी पाए जाने पर ऐसे कारोबारी को 50 हजार रुपये तक जुर्माने व एक वर्ष के कारावास का भी प्रावधान है।

लाइसेंस, बिल व परमिशन जरूरी

विषय विशेषज्ञ उद्यान डॉ. जगदीश वर्मा ने बताया कि बाहरी राज्यों से फल-पौधों की खरीद के लिए नर्सरी का लाइसेंस, पौधों का बिल, हिमाचल प्रदेश सरकार की पौधे लाने की परमिशन के अतिरिक्त जिस राज्य से फल-पौधों की खरीद की जा रही है, उस राज्य के उद्यान विभाग से फल-पौधे बीमारी रहित होने का प्रमाणपत्र भी होना आवश्यक है।

सनशाइन स्कूल के छात्रों को चिकित्सकों ने किया जागरूक

जंक फूड खाने से परहेज करें बच्चे

हिमाचल दस्तक ▌रामपुर बुशहर

सनशाइन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामपुर में स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य जांचा गया। एक दिवसीय इस शिविर में हंस फाउंडेशन की टीम ने सभी बच्चों का चेकअप किया। इस मौके पर स्कूल की प्रधानाचार्य सुषमा मखैक भी मौजूद रहीं। साथ ही हंस फाउंडेशन की तरफ से डॉ. पलक सहित अन्य टीम मौजूद रही। इस एक दिवसीय शिविर में नर्सरी लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों की जांच की गई। साथ ही जिन बच्चों को दवाओं की जरूरत थी उन्हें निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। हंस फाउंडेशन की तरफ से बच्चों को स्वास्थ संबंधी जानकारी भी दी गई। डॉ. पलक ने अपने संबोधन में कहा कि स्कूली बच्चों में एनीमिया की काफी कमी पाई जा रही है, जिसका कारण है उचित खानपान न होना। हरी सब्जियों को न खाना। ऐसे में खासकर लड़कियों को विशेष एहतियात की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जंक फूड नहीं खाने चाहिए। इससे पेट से संबंधित बीमारियां फैलती हैं। ऐसे में ताजी और उचित गुणवत्ता वाली सब्जियों व दालों को अपनी रोजाना डाइट में शामिल करना चाहिए।

▌हंस फाउंडेशन की टीम ने सभी स्टूडेंट्स का स्वास्थ्य भी जांचा

▌निःशुल्क दवाइयां की वितरित, स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिया

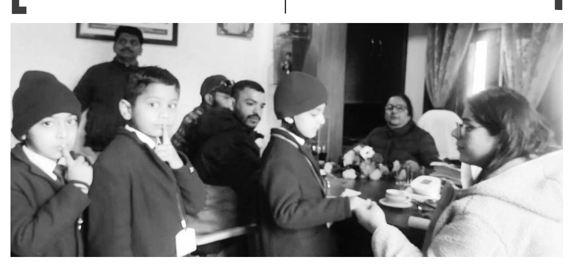

नशे से दूर रहें : डॉ. पलक

डॉ. पलक ने बच्चों से आग्रह किया कि वे नशे से हमेशा दूर रहें। नशा युवाओं की बढ़ने की शक्ति को क्षीण कर देता है। साथ ही अनेक प्रकार की बीमारियों को शरीर में फैला देता है। किसी भी प्रकार का नशा शरीर के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को खेलकूद में हिस्सा लेना चाहिए। खेलकूद में हिस्सा लेने से बच्चों का शारीरिक विकास होता है। इस मौके पर स्कूल की तरफ से सभी शिक्षक व अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा।

चार दिन तक चार फुट बर्फ के बीच बहाल की पेयजल आपूर्ति

हिमाचल दस्तक ▌रोहडू

बर्फबारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पेयजल समस्या से दो-चार होना पड़ रहा है। कई बार तो लोगों को आग जलाकर बर्तन में बर्फ रखकर उसे पिघलाकर गुजारा करना पड़ता है। लोगों की इन्हीं दिक्कतों को समझते हुए जल शक्ति विभाग में कुछ कर्मचारी लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। इनमें रोहडू के चिड़गांव जल शक्ति विभाग के जलरक्षक अतीव कुमार का नाम भी शुमार है।

हाल ही में रोहल पंचायत के 5 गांवों में 4 फुट तक बर्फ गिर जाने से करीब 70 बस्तियों वाले मंजवाड़ी गांव के नलों व सप्लाई लाइन की पाइपें जाम होने से पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई थी। इस दौरान रोहल के अतीव ने भारी बर्फ के बीच 4 दिनों तक अकेले ही पेयजल लाइन को दुरुस्त करने का बीड़ा उठाया। उसने कड़ी मशक्कत के बाद गांवों के लिए पेयजल की आपूर्ति बहाल कर दी। उसके इस हौसले की जगह-जगह प्रशंसा हो रही है। जल शक्ति विभाग चिड़गांव के सहायक अभियंता ई. राजेश कपटा ने कहा कि कर्मचारियों के इसी कर्तव्यनिष्ठा से सरकार के प्रति विश्वास का संचार होता है। अतीव कुमार हमेशा किसी भी कार्य को निपटाने के लिए हर घड़ी तैयार रहता है।

▌रोहल के जलरक्षक अतीव ने लोगों को पहुंचाई राहत

▌मंजवाड़ी गांव के नलों व पाइपलाइन के जमने से बढ़ गई थी दिक्कत

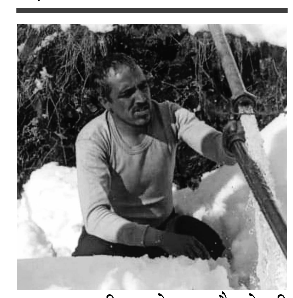

शिवरंजनी संगीत मंडली के भजनों पर झूम उठे भक्त

हिमाचल दस्तक ▌करसोग

शिवरंजनी संगीत मंडली पांगणा के 7 उभरते कलाकारों दिनेश (तबला), गोपाल (ढोलक), छविराम (कैसियो), हेमराज (म्यूजिक पैड), गायक मनोज (निहरी), गायक हेमराज (शंडरा झुंगी) ने मंगलवार रात्रि पांगणा में डॉक्टर अमन शर्मा द्वारा आयोजित भजन संध्या में अपने अलग-अलग और चिर-परिचित अंदाज में एक से बढ़कर भजन गाकर अपनी वाणी को नई अभिव्यक्ति देने का बेहतर प्रयास किया। पांगणा-पज्याणु सहित अनेक स्थानों के श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह से इस जागरण में भाग लिया। पांगणा के करीब बाग और भुट्ठा गांव की इस युवा संगीत मंडली ने 'गाइए गणपति गज नंदन..' भजन से परंपरागत भजन संध्या का श्रीगणेश किया। इन्होंने बिगड़ी मेरी बना दे शेरों वाली मैया, रात श्याम सपनों में आए, श्याम मुरलीधर बजाने वाले, ब्रज की होली में, आज दूल्हा बने है भोलेनाथ, दिल मेरा ले गया सांवरिया, मेरे भारत में तू फिर से आ जा, भोले को कैसे मनाऊं रे, तेरा भोला न माने जैसे अनेक भजन पेश कर भक्ति की महक से इस ऐतिहासिक नगरी को सराबोर कर दिया।

कार्यक्रम को सभी ने सराहा

गुरु गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़ी शिवरंजनी संगीत मंडली पांगणा अपने संगीत और गीत संवाद में पांगणा से बाहर भी भक्तों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर रूपी भगवद् गीत-संगीत से जुड़े रहने का संदेश दे चुकी है, लेकिन शिवरंजनी संगीत मंडली पांगणा का अपनी ऐतिहासिक नगरी पांगणा में यह पहला कार्यक्रम था, जिसे पांगणावासियों ने खूब सराहा।

▌कलाकारों ने भजन संध्या में जमाया रंग

भक्तिरस में डूबा पांगणा

6 दिनों तक जहां आचार्य विनोद शर्मा व शिमला से साथ आई भजन मंडली के तबला वादक साहिल (मुंडाघाट), की-बोर्ड पर सतपाल (धरेच), बांसुरी वादक कृष्णदत्त (भराणा) ने पांगणावासियों का धार्मिक गीतों से दिन-रात अद्भुत आनंदमयी वातावरण बनाया, वहीं श्रद्धालुओं के नृत्य ने लोगों को खूब आनंदित किया।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, PARWANOO, DISTT. SOLAN (H.P)

No.MC/PWN/2024/ 665-671 Dated : 07.02.2024

NOTICE

In execution of Resolution No 355 dated 23.12.2023 wherein the house of Municipal Council has resolved to allocate 133 dwelling units under Pradhan Mantry AawasYojna (PMAY)/Affordable Rental Housing Complex scheme (ARHC's) in accordance with the guidelines of the scheme.

In meeting of house held on dated 06.02.2024 it has been resolved that an opportunity be provided to applicants who have submitted their applications to attach required supporting documents / inspection of documents / submission of relevant documents w.e.f. 09.02.2024 till 19.02.2024 (within ten days). The following documents are required:

Sr. No.	Target Beneficiaries as per guidelines of Scheme	Documents required
1.	Economic weaker section (EWS): EWS households are families having an annual income up to Rs. 3,00,000 (rupees Three lakh).	1. Income Certificate/ Salary Certificate etc. issued by competent authority. 2. SC/ST/OBC/Widow/Working Women/Divyang/Minority etc. Certificate issued by competent authority. 3. Aadhar Card/ Pan Card/Voter Card etc. or any other Govt. approved identification documents will be made mandatory.
2.	Low Income Group (LIG): Who are urban migrants/poor. They include labour, Urban poor (Street Vendors, Rickshaw pullers, other service providers etc.), Industrial workers and migrants working with market/ trade associations, educational/health institutions, hospitality sector, long term tourists/visitors, students or any other persons of such category. LIG households are defined as families having an annual income between 3,00,001 (Rupees Three lakh One) up to Rs. 6,00,000 (Rupees Six Lakh).	
3.	Preference given: Preference under the scheme shall be given to persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes, Widows and working Women, Divyang, Minorities etc. subject to the beneficiaries being from EWS/LIG segments as provisioned by the Government.	

The initial rent for per dwelling unit is Rs. 3200/- (excluding water bill, electricity bill and garbage user charges bill etc.) and the allotment will be made for a period of 5 years initially.

The allocation of dwelling units is to made in accordance with the guidelines of scheme and concession agreement executed between Municipal Council and contractor under section 6.1 wherein the allocation is to be made with consent of the house of Municipal Council, Parwanoo.

The detailed guideline of scheme can be downloaded from https://arhc.mohua.gov.in For any further queries please contact office of Municipal Council, Parwanoo.

Sd/-
Executive Officer,
Municipal Council, Parwanoo.

COSMO FERRITES LIMITED

UNAUDITED FINANCIAL RESULTS

Rs. In Lacs

Particulars	Quarter Ended 31.12.2023 Unaudited	Nine Month Ended 31.12.2023 Unaudited	Quarter Ended 31.12.2022 Unaudited	Year Ended 31.03.2023 Audited
Total Income from Operations	2,212	7,431	2,368	10,992
Earnings before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)	132	773	183	1,255
Net Profit/(Loss) for the period (before tax, and/or exceptional items)	(182)	(167)	(59)	315
Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional items)	(182)	(203)	(59)	315
Net Profit/(Loss) for the period after tax	(139)	(146)	(46)	242
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(140)	(150)	(44)	239
Equity Share Capital	1,203	1,203	1,203	1,203
Earning Per Share (of Rs 10 each)				
- Basic:	(1.15)	(1.21)	(0.37)	2.01
- Diluted:	(1.15)	(1.21)	(0.37)	2.01

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com).

2 The financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereunder.

New Delhi
Date: 07.02.2024

Sd/-
Ambrish Jaipuria
Managing Director

COSMO FERRITES LIMITED
Regd. Office: Jabli, Distt Solan, Himachal Pradesh-173209
CIN: L27106HP1985PLC006378, Tel: 01792-277231-32/35/36, Fax: 01792-277234,
Website: www.cosmoferrites.com, E-mail: investorservices@cosmoferrites.com

रोहडू में सड़क किनारे खड़ी रेहड़ियां जब्त

रोहडू। रोहडू प्रशासन, रोहडू पुलिस और रोहडू एमसी ने साथ मिलकर नगर परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत रोहडू बाजार मिशन मोड अभियान चलाया। बुधवार को दोपहर बाद शुरू हुए इस अभियान मे एसडीएम रोहडू ईएएस विजय वर्धन, डीएसपी रोहडू रविंद्र नेगी व रोहडू नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी संदीप कुमार ने पूरी टीम के साथ एसीसी पार्क से मुख्य चौक के दोनों तरफ एवं अप्पर बाजार की एक दुकान का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान सैंकड़ों दुकानों में 99 प्रतिशत दुकानों के बाहर लटके कपड़ों व अन्य सामान की नुमाईश को अवैध करार देते हुए इन्हें दुकान के शटर के भीतर करने के सख्त निर्देश मौके पर दिए। वहीं सड़क किनारों खड़ी रेहड़ियों को भी मौके से उठा ले जाया गया। बाजार में यातायात व्यवस्था, बाजार क्षेत्र में स्थानीय कारोबारियों व रेहड़ी-फड़ी वालों की ओर से अतिक्रमण व साफ-सफाई के मुद्दों के लिए संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम रोहडू ने बाजार में शॉप लाईसैंस के नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों व रेहड़ी-फड़ी वालों के मौके पर दुकानदारों चालान कर ऐसा किए जाने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाए जाने की चेतावनी दी। इस दौरान शहर रोहडू बाजार की सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से पार्क दर्जनों वाहनों के भी मौके पर चालन किए गए।

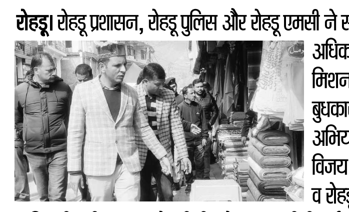

एक लाख की इनामी राशि के लिए भिड़ेंगी 32 टीमें

रामपुर बुशहर। रामपुर के पाटबंगला मैदान में ब्लैक ब्वॉयज क्रिकेट क्लब रामपुर द्वारा अविनाश मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता बुधवार को शुरू की गई। 15 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 32 टीमें भाग ले रही हैं। इसका शुभारंभ डॉ. प्रेम नेगी द्वारा किया गया, जबकि बतौर विशेष अतिथि अंकुश नेगी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता की विजेता टीम को एक लाख रुपये नकद व ट्रॉफी और उपविजेता टीम 50 हजार रुपये व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष दयाल सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवाओं को खेल खेलने के लिए प्रेरित करना है। इस प्रतियोगिता के पहले मैच में ग्रीन वर्ल्ड रामपुर और करसोग की टीम के बीच भिड़ंत हुई। करसोग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 15 ओवर में 119 रन का लक्ष्य अपनी प्रतिद्वंद्वी टीम के समक्ष रखा। ग्रीन वर्ल्ड की टीम 119 का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उतरी, लेकिन टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ग्रीन वर्ल्ड के खिलाड़ी जल्दी-जल्दी प्वेलियन लौट गए, जिस कारण ग्रीन वर्ल्ड की टीम 95 पर ढेर हो गई। दूसरा मैच नारकंडा और ज्यूरी के मध्य खेला गया, जिसमें नारकंडा ने जीत दर्ज की।